रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 1988/चैत्र 5, 1910
No. 147] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 1988/CHAITRA 5, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

SECRETARIAT LIBRARY ... INDIA 11/848

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1988

सा. का. नि. 381(अ) :— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

सं. आ. 133

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1988

संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1988 है।

2. इस आदेश के निर्वाचन के लिए साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) वैसे ही लागू होगा जैसे वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3. अनुच्छेद 275 के खंड (i) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 1987 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में नीचे की सारणी के स्तम्भ (i) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में 1 अप्रैल, 1984, 1985 और 1986 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, उन राज्यों में से प्रत्येक के नए लिए गए उधारों और दिए गए उधारो लेखें शुद्ध ब्याज के दायित्व मद्दे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1986 और संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1987 के अधीन शुद्ध ब्याज के दायित्व मद्दे दिए गए अनुदान को

हिसाब में लेने के पश्चात इस संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित होगी :—

सारणी

राज्य	(रुपये लाख में)
(1)	(2)
अरुणाचल प्रदेश	634.66
असम	5531.35
गोवा	662.25
हिमाचल प्रदेश	720 36
जम्मू-कश्मीर	5338.21
मणिपुर	443.43
मेघालय	344.13
नागालैण्ड	781.41
उड़ीसा	6331.73
राजस्थान	1105.45
सिक्किम	121.60
पश्चिमी बंगाल	12687.00

परन्तु यदि उन वर्षों के लेखाओं में प्रकट किए गए वास्तविक किए गए उधारों और दिए गए उधारों के अंक या लिए गए उधारों पर ब्याज की दरें ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदानों के अवधारण में हिसाब में लिए गए सुसंगत अंकों से भिन्न हैं तो इस प्रकार दिए गए अनुदान की रकम किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध समायोजित की जाएगी जो उस राज्य को उसी प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किन्हीं उत्तरवर्ती वर्षों में संदेय हों।

(2) उप पैरा (i) के अधीन किसी राज्य को संदेय कोई राशि या राशियां, संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1985 के पैरा (4) के उप पैरा (i) के अनुसरण में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

आर. वेंकटरामन्
राष्ट्रपति

——— [सं. फा. 19(3)/88—एल. आई]
एस. रामय्या, सचिव

MINISTRY O F LRW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1988

G.S.R. 381(E).—The following Order made by President is published for general information :—

C.O. 133

The Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1988

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1988.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1987 as grants-in aid of the revenues of each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States, in the financial years commencing on the 1st day of April, 1984, 1985 and 1986, after taking into account the grants paid towards the net interest liability under the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1986 and the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1987, as per the recommendations of the Finance Commission in this regard :—

Table

State	(Rupees in lakhs)
1	2
Arunachal Pradesh	634.66
Assam	5531.35
Goa	662.25
Himachal Pradesh	720.36
Jammu and Kashmir	5338.21
Manipur	443.43
Meghalaya	344.13
Nagaland	781.41
Orissa	6331.73
Rajasthan	1105.45
Sikkim	121.60
West Bengal	12687.00

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of those years, or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above, the amount grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in the succeeding years for the same purpose or any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State shall be in addition to the sum or sums payable to that State in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order. 1985.

R. VENKATARAMAN

PRESIDENT

———[No. F. 19(3)/88-L.I.]

S. RAMAIAH, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988